न्यायालय जिला कलक्टर, खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं०	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15 / 54 / 2024	2024 / 91	22.08.2024	14.05.2025

1– राजबाला पत्नि शीशाराम जाति अहीर निवासी ग्राम बावद तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रार्थीगण

बनाम

1–भारत सरकार जरिये सचिव पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली।

2–सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग नं0 8 एवं उप खण्ड अधिकारी बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़ (राजस्थान)

3–परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 156, गिरनार कालोनी वैशाली नगर जयपुर (राजस्थान)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 (जी) 5 राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम

उपस्थितः–

01. श्री मनीष खन्ना –वकील प्रार्थी

02. श्री एम.डी अग्रवाल एवं विजय कुमार मित्तल –वकील अप्रार्थी संख्या 1–3

––:: निर्णय ::––

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 (जी) 5 राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा पारित अवार्ड दिनाक 03.09.2010 के विरूद्व पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीयान को जरिये नोटिस तलब किया गया।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुऐ निवेदन किया कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के गुडगाव, शाहजहापुर, कोटपूतली, जयपुर का राजमार्ग चौडा करने छः लेन का बनाने हेतु भूमि अवाप्ति के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 (ए) के अन्तर्गत अधिसूचना जारी की गयी, तथा उक्त अधिनियम के पश्चात राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनिमय की धारा 3 (डी) के तहत अधिसूचना जारी की गयी। धारा 3 (डी) के तहत अधिसूचना जारी करने के पश्चात जिन भूमि स्वामियो की भूमि अवाप्त की गयी उनको भूमि के मुआवजे हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक अवार्ड पारित किया गया। उक्त अवाप्ति में प्रार्थी की भूमि आराजी खसरा न0 356 का 1288 वर्ग मीटर भूमि विपक्षीगण द्वारा उक्त अधिसूचना के जरिये अवाप्त में ली गयी जिसका मुआवजा विपक्षी संख्या 2 द्वारा 1024449/रूपये निश्चित किया जाकर बतौर मुआवजा देना तय किया गया। आराजी खसरा न0 356 में जगमाल, जयसिंह पि0 श्योताज संभाग 02/3 ग्यारसाराम रूपराम पुत्रान हरफूल 2/9 निरज पुत्र व राजबाला बेवा व सुमन अनिता सपना बिता पुत्रीयान शीशराम 1/9 हिस्सा जाति अहीर सा0 देह खातेदार है। प्रार्थी की उक्त भूमि जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग न0 8 से सटी हुई है, तथा जिसे विपक्षी संख्या 2 के द्वारा अवाप्ति में लिया गया है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को कृषि कार्य में उपयोग एवं उपभोग में ली जा रही थी, जिससे अपेक्षित दस्तावेज सक्षम प्राधिकारी अप्रार्थी संख्या 2 के समक्ष पेश किये गये थे। ग्राम बावद तहसीह मुण्डावर की भूमि डी.एल.सी. दर के मुताबिक नही मानी गयी है, व सक्षम प्राधिकारी ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो एवं क्लेम प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो की अनदेखी करते हुऐ रिकार्ड के विपरीत बिना मौका देखे प्रार्थी उक्त वाणिज्यिक भूमि को बारानी–1 मानते हुए काफी कम दर तय की तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो पर कोई विचार नही किया गया तथा मनमानी दर से व मनमाने ढगं से धारा 3 (जी) के तहत मुआवजा तय किया गया है। प्रार्थी की भूमि कृषि के उपयोग में आ रही थी, तथा राष्ट्रीय राजमार्ग से सटी हुई थी, जिसका बाजार

जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज0)

मूल्य अवार्ड में दिलायी गयी राशि से कही अधिक था जो कि प्रार्थी ने आज तक अवार्ड राशि का चैक भी प्राप्त नही किया है, उक्त अवाप्त आराजी वाणिज्यक उपयोग एवं उपभोग हेतु अवाप्ति की गयी है, ऐसी सूरत में ग्राम बाबद की आराजी 30–40 लाख रूपये बीघा से कम नही है। परन्तु उक्त आराजी का मुआवजा बहुत ही कम दर अर्थात 660/रूपये प्रति वर्ग मी0 की दर से मुआवजा तय किया जो बहुत ही कम है। तथा प्रार्थी के साथ स्पष्ट अन्याय है। जबकि उक्त आराजी वाके ग्राम बावद का मुआवजा कम से कम 10,000/रूपये प्रति वर्ग मी0 की दर से अवाप्त भूमि का मुआवजा प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है। ग्राम बावद तहसील मुण्डावर की कृषि आराजी की डी.एल.सी की दर से मुआवजा राशि का निर्धारण किया जावे तो उक्त अवार्ड राशि का मुआवजा तय किये गये मुआवजा राशि से बहुत अधिक मुआवजा राशि बनती है। मुताबिक उप पंजियक मुण्डावर के डी.एल.सी की दर 23 लाख रूपये प्रति बीघा है, सर्व विदित है, कि राष्ट्रीय राजमार्ग से लगती हुई भूमि काफी महत्वपूर्ण भूमि होती है। जिस पर व्यवसायिक एवं वाणिज्यिक कारोबार होता है। जिसके आधार पर प्रार्थी की भूमि की बाजार दर अधिसूचना की दिनाक को 10,000/रूपये प्रति वर्ग मी0 से कम नही थी, परन्तु सक्षम प्राधिकारी अधिकारी ने इस तथ्य पर गौर नही किया गया। जिसके कारण प्रार्थी के साथ अन्याय हुआ है। इस आधार पर प्रार्थी 10,000/रूपये प्रति वर्ग मी0 की दर से मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी की अवाप्त भूमि को औधोगिक व वाणिज्यिक मानते हुए अधिसूचना की दिनाक को प्रचलित बाजार दर 10,000/रूपये प्रति वर्ग मी0 मानते हुए तदानुसार मुआवजा दिलवाया जावे। आराजी राष्ट्रीय राजमार्ग से सटी हुई है, की रजिस्ट्री 25–30 लाख रूपये प्रति बिघा के हिसाब से की जा रही है। तदानुसार मुआवजा दिलाया जावे। अन्य देया लाभ राशि पर 18 प्रतिशत वार्षिक दर से अधिसूचना की दिनाक से ता वसूली तक ब्याज दिलवाया जावे। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो का गौर कर पुनः मुआवजा निर्धारण किया जावे।

विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 3 ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि केन्द्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 द्वारा प्रद्वत शक्तियो का प्रयोग करते हुए किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग को लोकहित में चौडा करने/छः लेन का बनाने उसका अनुरक्षण, प्रबंधन करने या पुनः निर्माण करने के उद्वेश्य से गजट नोटिफिकेशन जारी करती है। सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय केन्द्र सरकार नई दिल्ली ने व्यापक हित को देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के 107.100 कि0 मी0 से 142.400 कि0मी0 (जयपुर–कोटपूतली–गुडगांव सेक्शन) तक के भूखण्ड का निमार्ण (चौडा करने/छः लेन का बनाने आदि) अनुरक्षण प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए भूमि अवाप्ति करने के लिए उपखण्ड अधिकारी बहरोड को सक्षम प्राधिकारी प्राधिकृत किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 ए की उपधारा 1 के तहत राजमार्ग संख्या 8 के 107.100 कि0मी0 से 142.400 कि0मी0 (जयपुर–कोटपूतली–गुडगांव सेक्शन) तक के भूखण्ड का निमार्ण (चौडा करने/छ लेन का बनाने आदि) अनुरक्षण प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए अवाप्त की जाने वाली भूमि की अधिनियम की धारा 3 ए के तहत अधिसूचना दिनाक 01.01.2009 को जारी की गयी, जिसे राजस्थान राज्य में अधिनियम की धारा 3 ए की उपधारा 3 के तहत सक्षम प्राधिकारी ने स्थानीय समाचार पत्रो राजस्थान पत्रिका में दिनाक 18 जनवरी 2009 को एंव दैनिक भास्कर में दिनाक 19 जनवरी 2009 को हिन्दी भाषा में प्रकाशित कराया। इस अधिसूचना के स्थानीय प्रकाशन में इस तथ्य का उल्लेख किया है, कि अर्जन की जाने वाली भूमि के हितबद्व पक्षकार जिनका कि अवाप्त की जाने वाली भूमि में हित है, धारा 3 ए के तहत जो अधिसूचना भारत के राजपत्र में दिनाक 01.01.2009 को जारी की गयी व जिसका प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्रो में दिनाक 18.01.2009 एंव 19.01.2009 को किया गया में इस तथ्य का उल्लेख धारा 3 सी के तहत किया गया कि यदि कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के दिनाक से 21 दिवस के भीतर कोई आपत्ति सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करता है, तो प्राधिकृत अधिकारी धारा 3 सी की उपधारा 2 के तहत सुनवाई का अवसर देकर उस आपत्ति को स्वीकार या अस्वीकार करेगा। धारा 3 सी की उपधारा 3 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया निर्णय अंतिम होगा के संबंध मे किसी भी प्रकार की आपत्ति का 21 दिवस के भीतर धारा 3 सी (1) के तहत आक्षेप सक्षम प्राधिकारी को स्वयं लिखित रूप में या अपने प्लीडर के माध्यम से कर सकेगा। सक्षम अधिकारी उक्त आपत्तियो को सुने जाने का अवसर देगा व आदेश जारी करेगा। तथा अधिनियम की धारा 3 सी (3) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 ए के तहत जारी अधिसूचना के परिपेक्ष में जो आपत्तियां की गयी उनका धारा 3 सी के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निस्तारण किया गया। प्राप्त आपत्तियो के निस्तारण के पश्चात संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा 3 डी के अन्तर्गत अवाप्त की जाने

जिला कलक्टर
(राज0)

वाली भूमी की अधिसूचना जारी करने हेतु रिपोर्ट भेजी गयी। जिसके आधार पर सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिनियम की धारा 3 डी के तहत भारत के राजपत्र में दिनाक 03.11.2009 को अधिसूचना जारी की गयी जिसका प्रकाशन दो समाचार पत्रो देनिक भास्कर एवं राजस्थान पत्रिका में दिनाक 30.11.2009 को किया गया। उक्त अधिसूचना से पूर्व भी प्रार्थी द्वारा कोई आपत्ति सम्परिवर्तन बाबत नही की गयी। अधिनियम की धारा 3 डी की उपधारा (4) में निहित प्रावधानानुसार अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूचित में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लमंगो से मुक्त होकर अत्यान्तिक रूप से केन्द्र सरकार में निहित हो जावेगी। अधिनियम की धारा 3 जी के तहत अवाप्तशुदा भूमि आराजी खसरा न0 356 की 1288 वर्गमीटर बारानी 1 वाके ग्राम बावद तहसील मुण्डावर का मूल्य एंव निर्माण का मुआवजा राशि का निर्धारण कराया गया व रास्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 जी (7) में दिये गये निर्देशो की पालना में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्त भूमि की मौके की स्थिति, भूमि का प्रकार, भूमि की किस्म, सडक सीमा के पास या दूर, उपपंजियक से प्राप्त डी.एल.सी दर, राजस्थान सरकार की बेसिक शिडयूल ऑफ रेट को देखते हुए मुआवजा निर्धारण किया गया है। सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट जो कि राजस्व रिकार्ड पर आधारित थी, के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा 3 डी की अधिसूचना जारी की गयी। उक्त अधिसूचना में आराजी खसरा न0 356 की प्रकृति बारानी 1 कृषि भूमि अंकित थी। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 जी (1) (2) व (7) के निर्देशो की पालना में सक्षम प्राधिकारी द्वारा मुआवजा राशि निर्धारित की गयी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्त भूमि की मौके की स्थिति का प्रकार भूमि की किस्म सडक सीमा के पास या दूर को देख कर व भूमि की किस्म बारानी 1 मानकर मुआवजा निर्धारित किया गया है। इस प्रकार सक्षम प्राधिकारी द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा न0 356 की 1288 वर्गमीटर बारानी 1 की डी.एल.सी. दर 660.00 रूपये के आधार पर राशि 8,50,080/रूपये एवं संरचना राशि 81,237/रूपये एवं राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 जी के उपधारा (2) के प्रावधानो के अन्तर्गत देय 10 प्रतिशत राशि रूपये 93,131.7/रूपये इस प्रकार कुल 10,24,449/रूपये खातेदार के पक्ष में अभिनिर्धारित कर अवार्ड पारित किया गया जो, कि उचित एंव कानूनी है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिकर निर्धारण के लिए निहित प्रक्रिया की अनुपाना करते हुए अभिनिर्णय दिनाक 03.09.2010 को पारित किया गया है, तथा भू–अर्जन से प्रभावित व्यक्तियो को उनके अंश व हिस्से के अनुसार प्रतिकर का निर्धारण किया गया है। प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि नियमानुसार वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि नही है, यदि प्रार्थी की भूमि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित होतो तो उसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में होता जो नही है, इससे स्पष्ट है, कि भूमि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि नही है। प्रार्थी अपनी अवाप्तशुदा भूमि को बिना रूपान्तरित करवाये वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ उपयोग में ले रहा था तो उसके लिए वह स्वंय जिम्मेदार है, साथ ही ऐसे अवैधानिक उपयोग के आधार पर मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण लोक हित में सार्वजनिक उद्वेश्य हेतु किया गया है, जिससे यातायात सुगम हो और सडक दुर्घटनाओ को कम किया जा सके। अधिग्रहण का उद्वेश्य न तो आवासीय है, और न ही व्यावसायिक। प्रार्थी द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र तथ्यो से परे है, जिसका कोई आधार नही है प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकुलाय की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 (जी) 5 राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के साथ संलग्न दस्तावेज/वकील अप्राथी संख्या 1–3 की बहस से जाहिर है, कि राजमार्ग संख्या 8 के 107.100 कि0 मी0 से 142.400 कि0 मी0 (जयपुर–कोटपूतली–गुडगांव सेक्शन) तक के भूखण्ड का निमार्ण (चौडा करने/छः लेन का बनाने आदि) अनुरक्षण प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए भूमि अवाप्ति करने के लिए उपखण्ड अधिकारी बहरोड को सक्षम प्राधिकारी प्राधिकृत किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 ए की उपधारा 1 के तहत राजमार्ग संख्या 8 के 107.100 कि0मी0 से 142.400 कि0 मी0 (जयपुर–कोटपूतली–गुडगांव सेक्शन) तक के भूखण्ड का निमार्ण (चौडा करने/छ लेन का बनाने आदि) अनुरक्षण प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए अवाप्त की जाने वाली भूमि की अधिनियम की धारा 3 ए के तहत अधिसूचना दिनाक 01.01.2009 को जारी की गयी, जिसे राजस्थान राज्य में अधिनियम की धारा 3 ए की उपधारा 3 के तहत सक्षम प्राधिकारी ने स्थानीय समाचार पत्रो राजस्थान पत्रिका में दिनाक 18 जनवरी 2009 को एंव दैनिक भास्कर में दिनाक 19 जनवरी 2009 को हिन्दी भाषा में प्रकाशित कराया। इस अधिसूचना के स्थानीय प्रकाशन में इस तथ्य का उल्लेख किया है, कि अर्जन की जाने वाली भूमि के हितबद्व पक्षकार जिनका कि अवाप्त की जाने वाली भूमि में हित है, धारा 3 ए के तहत जो अधिसूचना भारत के राजपत्र में दिनाक 01.01.2009 को जारी की गयी व जिसका प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्रो में दिनाक 18.01.2009 एंव 19.01.2009 को किया गया में इस तथ्य का उल्लेख

धारा 3 सी के तहत किया गया कि यदि कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के दिनाक से 21 दिवस के भीतर कोई आपत्ति सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करता है, तो प्राधिकृत अधिकारी धारा 3 सी की उपधारा 2 के तहत सुनवाई का अवसर देकर उस आपत्ति को स्वीकार या अस्वीकार करेगा। धारा 3 सी की उपधारा 3 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया निर्णय अंतिम होगा के संबंध मे किसी भी प्रकार की आपत्ति का 21 दिवस के भीतर धारा 3 सी (1) के तहत आक्षेप सक्षम प्राधिकारी को स्वयं लिखित रूप में या अपने प्लीडर के माध्यम से कर सकेगा। तथा अधिनियम की धारा 3 सी (3) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 ए के तहत जारी अधिसूचना के परिपेक्ष में जो आपत्तियां की गयी उनका धारा 3 सी के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निस्तारण किया गया। प्राप्त आपत्तियो के निस्तारण के पश्चात संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा 3 डी के अन्तर्गत अवाप्त की जाने वाली भूमी की अधिसूचना जारी करने हेतु रिपोर्ट भेजी गयी। जिसके आधार पर सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिनियम की धारा 3 डी के तहत भारत के राजपत्र में दिनाक 03.11.2009 को अधिसूचना जारी की गयी जिसका प्रकाशन दो समाचार पत्रो देनिक भास्कर एवं राजस्थान पत्रिका में दिनाक 30.11.2009 को किया गया। उक्त अधिसूचना से पूर्व भी प्रार्थी द्वारा कोई आपत्ति सम्परिवर्तन बाबत नही की गयी। अधिनियम की धारा 3 डी की उपधारा (4) में निहित प्रावधानानुसार अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूचित में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लमंगो से मुक्त होकर अत्यान्तिक रूप से केन्द्र सरकार में निहित हो जावेगी। अधिनियम की धारा 3 जी के तहत अवाप्तशुदा भूमि आराजी खसरा न0 356 की 1288 वर्गमीटर बारानी 1 वाके ग्राम बावद तहसील मुण्डावर का मूल्य एंव निर्माण का मुआवजा राशि का निर्धारण कराया गया व रास्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 जी (7) में दिये गये निर्देशो की पालना में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्त भूमि की मौके की स्थिति, भूमि का प्रकार, भूमि की किस्म, सडक सीमा के पास या दूर, उपपंजियक से प्राप्त डी. एल.सी दर, राजस्थान सरकार की बेसिक शिडयूल ऑफ रेट को देखते हुए मुआवजा निर्धारण किया गया है।वादग्रस्त आराजी खसरा न0 356 की 1288 वर्गमीटर बारानी 1 की डी.एल.सी. दर 660.00 रूपये के आधार पर राशि 8,50,080/रूपये एवं संरचना राशि 81,237/रूपये एवं राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 जी के उपधारा (2) के प्रावधानो के अन्तर्गत देय 10 प्रतिशत राशि रूपये 93,131.7/रूपये इस प्रकार कुल 10,24,449/रूपये खातेदार के पक्ष में अभिनिर्धारित कर अवार्ड पारित किया गया जो कि उचित एंव कानूनी है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिकर निर्धारण के लिए निहित प्रक्रिया की अनुपाना करते हुए अभिनिर्णय दिनाक 03.09.2010 को पारित किया गया है, तथा भू–अर्जन से प्रभावित व्यक्तियो को उनके अंश व हिस्से के अनुसार प्रतिकर का निर्धारण किया गया है। प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि नियमानुसार वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि नही है, यदि प्रार्थी की भूमि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित हो तो उसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में होता जो नही है, इससे स्पष्ट है, कि भूमि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि नही है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में जो कथन अंकित किये गये है, उनके समर्थन में कोई वैधानिक दस्तावेजात पेश नही किये गये। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंन्तर्गत धारा 3 (जी) 5 राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम खारिज किया जाता है, निर्णय की प्रति तहत अदालत सक्षम अधिकारी भूमि अवाप्ति राष्टीय राजमार्ग न0 8 एवं उप जिलाधीश बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोंड (राजस्थान) को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज0)

नोट!-
आदेश दिनांक 27/5/2025 के परिपेक्ष मे पारित निर्णय दिनांक 14/5/2025 मे अप्रार्थी के वकील का नाम एम डी अग्रवाल के स्थान पर विपक्ष [illegible] पढा जावे।

जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा